HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 1160/2024

In

S. B. Criminal Appeal No. 3316/2023

Raj Kumar @ Raju Son Of Shri Kanhiya Lal, Aged About 43 Years, R/o Oil Dipot Ke Pass, Fci Godam Ke Piche, Somalpur Road, Police Station Ramganj, District Ajmer (Rajasthan)
(At Present Accused Is In Central Jail, Ajmer)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Dheeraj Singhal, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dhakar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

16/12/2025

प्रकरण आज **आई.ए.–1/2025** वास्ते अन्तरिम सजा स्थगन/जमानत आवेदन पर सूचीबद्ध हुआ है, जिस पर सुना गया, अभिलेख का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त को पुलिस थाना–अलवर गेट, अजमेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–252/2021 के मामले में विशिष्ठ न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 संख्या–02, अजमेर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या–136/2021 अपराध अंतर्गत धारा 3/4, 5(L)/6 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में दोषी करार देते हुए अधिकतम 20 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का अंतरिम जमानत के संबंध में निवेदन है कि अभियुक्त कारागार में निरूद्ध रहने के दौरान अन्य बंदी द्वारा अभियुक्त के साथ मारपीट की गई, जिससे उसकी आंख क्षतिग्रस्त हो गई है, यदि समुचित उपचार नहीं हुआ तो स्थायी निशक्तता व अपूर्तनीय क्षति कारित हो सकती है, अधिकतम 20 वर्ष की सजा के मुकाबले अभियुक्त 04 वर्ष 09 माह की सजा भुगत चुका है, अतः प्रार्थी–अभियुक्त को 20 दिन की अंतरिम जमानत की सुविधा प्रदान की जावे ताकि अभियुक्त योग्य चिकित्सक से अपना उपचार करवा सके।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक द्वारा विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

विचार किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

कारागार से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसके अनुसार यह स्पष्ट हुआ है कि प्रार्थी–अभियुक्त के साथ साथी बंदी द्वारा चाय के मग से मारपीट की गई, जिससे उसकी आंख क्षतिग्रस्त हुई है तथा कुछ उपचार के बाद स्थिति सामान्य बताई गई है।

संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को **दिनांक 19.12.2025 से दिनांक 09.01.2026** तक की अवधि के लिए अंतरिम रूप से जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी/अभियुक्त **राजकुमार उर्फ राजू पुत्र कन्हैयालाल** की ओर से प्रस्तुत यह अंतरिम सजा स्थगन प्रार्थना पत्र/जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त संबंधित जेल के सक्षम अधिकारी के संतोषप्रद **एक लाख** रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व **पचास–पचास हजार** रूपये की दो सुदृढ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इन शर्तों के साथ प्रस्तुत करे कि वह अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान शांति व सदव्यवहार बनाये रखेगा एवं अपराध की पुनरावर्ती नहीं करेगा एवं अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर दिनांक **10.01.2026** को **प्रातः 10:30 बजे** तक पुनः संबंधित जेल के सक्षम अधिकारी के समक्ष आत्म समर्पण करेगा तो प्रार्थी/अभियुक्त को **दिनांक 19.12.2025 से दिनांक 09.01.2026** तक की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा पुनः दिनांक **10.01.2026** को संबंधित जेल के सक्षम अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण करने या नहीं करने की सूचना संबंधित जेल के सक्षम अधिकारी द्वारा इस न्यायालय को भेजी जावे।

आदेश की प्रति संबंधित जेल के सक्षम अधिकारी को जरिए ई–मेल अविलम्ब प्रेषित की जावे।

इसी अनुसार **आई.ए.–1/25** निस्तारित किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /98